ग्राम पंचायतों में डाकघर

2576. **श्री जगन्नाथ सिंह:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने संसद में यह घोषणा की थी कि वर्ष 1997 के अंत तक प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में डाकघर संचालित कर दिया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो देश में कितनी पंचायतों में डाकघर संचालित किए जा रहे हैं तथा शेष कितनी पंचायतों में इस समय यह सुविधा उपलब्ध नहीं है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) जी नहीं।

(ख) देश में डाकघर वाली ग्राम पंचायतों की संख्या 110943 है। 110029 ग्राम पंचायतों में डाकघर नहीं है।

बिहार में रांची जिले की पंचायतों में डाकघर

2577. **श्री ज्ञान रंजन:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रत्येक पंचायत में डाकघर खोलने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार में रांची जिले के अनगड़ा प्रखण्ड के टाटीकिंगारी, सोनाहात, के वाकू सारेजाद पंचायतों में अभी तक डाकघर नहीं खोला गया है जिसके कारण लोगों को डाक सुविधा नहीं मिल रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पंचायतों में डाक सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) डाकघर योजना कार्यकलाप के रूप में मानदंड पर आधारित औचित्य होने पर खोले जाते हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें। इस उद्देश्य के लिए ग्राम पंचायत के मुख्यालय वाले गांवों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) से (घ) टाटी ग्राम पंचायत में डाकघर खोलने के प्रस्ताव की जांच की गई थी परन्तु वित्तीय मानदंडों के आधार पर इसका औचित्य नहीं पाया गया। यह सच नहीं है कि बिहार के रांची जिले की पिस्कानगरी, सोनाहात पंचायतों में डाकघर नहीं हैं। इन ग्राम पंचायतों में डाक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। अनगड़ा ब्लॉक के केवाकू तथा सारजेद जनगणना ग्राम नहीं है।

बिहार के जनजाति क्षेत्र में संचार सुविधाएं

2578. **श्री ज्ञान रंजन:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिहार में रांची जिले में जनजाति क्षेत्रों अर्थात अनगड़ा, दिल्ली, सोनाहात, कुडमू और नापकुम तथा पश्चिमी सिंहभूम के इयागढ़ नीमडीह चाण्डल में भी सभी पंचायतों में अभी तक संचार सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त प्रखण्डों की पंचायतों में संचार सुविधा उपलब्ध न होने के कारण काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार जनजाति क्षेत्रों के उक्त प्रखण्डों की सभी पंचायतों में संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) जी हां। इन खण्डों (ब्लाकों) की कुछ पंचायतों में अभी भी दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। सरकार को जनता द्वारा उठाई जा रही परेशानियों के बारे में जानकारी है।

(ग) और (घ) नौवीं योजना के अंत तक प्रत्येक गांव को टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की जानी हैं जिससे पंचायतें भी शामिल हो जाएंगी।

Poor Postal Services in Kanyakumari

2579. SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that postal distribution system in the villages of Kanyakumari district is very poor and letters, telegrams, money-orders and registered letters are delivered very late in these areas;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps being taken by Government to improve the postal distribution system in the State of Tamil Nadu?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VERMA): (a) and (b) No, Sir.

The postal distribution system in the villages of Kanyakumari district is satisfactory. Letters, telegrams, money-orders and registered letters are generally delivered in time. However, instances of delays do occur due to various reasons such as cancellation/late running of mail-carrying buses, trains and planes, natural calamities and due to sudden and exceptionally heavy volume of mails like Corporate mail and Greetings mail.

(c) The transmission and delivery of mails and money orders in the State is continuously monitored at various levels and corrective measures are taken wherever deficiencies are noticed.

नये टेलीफोन एक्सचेंजों का स्थापित किया जाना

2580. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में नए टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने हेतु स्थानों का चयन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा सहित राज्य-वार और स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजनाओं को शुरू कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों से सुझाव आमंत्रित किए हैं;

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(छ) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु कोई उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय किया है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) से (घ) 1997-98 के लिए स्थापना-कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) से (छ) हमारी नीति के अनुसार, जब कभी पंजीकृत मांग बढ़कर 10 (दस) अथवा इससे अधिक हो जाती है तो एक नया एक्सचेंज खोलने की योजना बनायी जाती है। विशिष्ट मामलों में, जहां कहीं राज्य सरकार कुछ एक्सचेंज खोलने के लिए कहती है, उन मामलों में उसे 10 (दस) अथवा इससे अधिक की पंजीकृत मांग दर्शानी होती है। इस मामले में ऐसी कोई मांग नहीं है।

सेल्युलर फोन सेवाओं हेतु प्रभार

2581. **श्री चिमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सेल्युलर फोन सेवाओं के लिए अनुबंधित किए गए आपरेटरों और कम्पनियों का अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दूरसंचार विभाग ने सेल्युलर फोन सेवाओं हेतु कोई न्यूनतम और अधिकतम प्रभार निर्धारित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस समय सेल्युलर फोन सेवा कम्पनियों द्वारा किस दर पर प्रभार वसूल किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सेल्युलर फोन कम्पनियों ने दरों में भारी कमी करने की घोषणा की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) विभाग ने संलग्न विवरण-I में दिए गए ब्यौरों के अनुसार, देश में सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के प्रार्चालनार्थ 21 भारतीय पंजीकृत कंपनियों को लाइसेंस जारी कर दिए हैं। **(नीचे देखिए)**

(ख) और (ग) विभाग ने, लाइसेंसधारियों के उपभोक्ताओं से उनके द्वारा वसूल किए जाने वाले टैरिफ की सीमा निर्धारित कर दी है। टैरिफ की सीमा-संबंधी ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं। **(नीचे देखिए)** लाइसेंसधारी इस सीमा के नीचे प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। टैरिफ की सीमा की सरकार द्वारा पुनरीक्षा की जाती है।

(घ) से (छ) टैरिफ सीमा के भीतर, प्रचालक कम टैरिफ वसूल करने के लिए स्वतन्त्र है। कंपनियां अपने उपभोक्ताओं को अलग-अलग पैकेजों की पेशकश करती हैं तथापि जब तक वे निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत होते हैं, सरकार द्वारा इन्हें विनियमित नहीं किया जाता है।